न्यायालय सिविल जज, जू0डि0, छाता, मथुरा।

मूलवाद सं0–196/2014

रोहतान आदि **बनाम्** उदल आदि।

दिनांक–16.02.2021

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। उभयपक्ष उपस्थित।

पत्रावली वास्ते आदेश 6ग हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 6ग

प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र 6ग मय शपथपत्र 7ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण 4 लगायत 12 एक किता आराजी भूमिधरी, जिसका कि विवरण वादपत्र के अंत पर दिया गया है एवं जिसको वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर क,ख,ग,घ से प्रदर्शित किया गया है कि संयुक्त रूप से संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज व दखील चले आते हैं। वादीगण किसान हैं तथा कृषि कार्य करते हैं, उनकी आजीविका का एक मात्र साधन है। वादीगण प्रश्नगत आराजी भूमिधरी में फसल जोत बोकर उससे लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण असली का कोई भी संबंध व सरोकार प्रश्नगत आराजी भूमिधरी से न तो कभी रहा और न वर्तमान में है। प्रतिवादीगण गरीब व कमजोर व्यक्ति की जमींन को जबरन तरीके से सस्ते दामों पर क्रय करने के लिये दबाव बनाते रहते हैं। प्रतिवादीगण असली दिनांक 18.07.2014 को वादीगण के पास आये तथा उनको यह धमकी दी कि या तो आप अपनी भूमि को उन्हें विक्रय कर दे, नहीं तो प्रतिवादीगण उनकी भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे। प्रतिवादी सं0–3 गैर कानूनी तरीके से वादीगण के प्रश्नगत चक में अपनी भूमि का होना जाहिर करता है, जबकि मौके पर प्रश्नगत भूमि का क्षेत्रफल खतौनी के मुताबिक पूरा भी नहीं है। वह दबंगई दिखाकर वादीगण को परेशान कर रहे है। तरतीवी प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी में संयुक्त सह खातेदार हैं। प्रतिवादीगण असली अपने नाजायज उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिनांक 18.07.2014 को वादीगण के पास आये तथा उन्होंने वादीगण को जबरन तरीके से बेदखल करने की धमकी दी, बावजूद समझाने के अपना वैजा इरादा छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दिनांक 18.07.2014 को प्रतिवादीगण असली ने वादीगण की प्रश्नगत आराजी काश्त पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी तथा बावजूद मना करने के मानने को तैयार नहीं हैं। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिवादीगण असली को विवादित प्रश्नगत आराजी, जिसका विवरण वादपत्र के अंत पर दिया गया है तथा जिसको वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में अक्षर क,ख,ग,घ से प्रदर्शित किया गया है पर वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे व दखल में तथा फसल जोतने–बोने व काटने में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रतिवादीगण असली द्वारा अपनी आपत्ति कागज सं0–19ग प्रस्तुत कर वादीगण के उक्त प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि वादीगण का प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं है। सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में नहीं है। प्रार्थनापत्र बावत निषेधाज्ञा के खारिज हो जाने से वादीगण की कोई हानि व हकतलफी भी नहीं है। वादीगण ने वादपत्र के साथ कतई गलत मौके के खिलाफ व राजस्व नक्शे के खिलाफ अपने मन मुताबिक नक्शा नजरी वादपत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रतिवादी सं0–3 की पट्टे वाली भूमि खसरा सं0–370/2 को भी नक्शा नजरी वादपत्र में मिला लिया है। प्रतिवादी सं0–3 सालिगराम पुत्र होलू के नाम मौजा चौमुंहा तहसील–छाता, मथुरा में कृषि पट्टे की भूमि खसरा सं0–370/2 रकवा 0.0800है0 आवंटित की गयी तथा खसरा सं0–1890/1 रकवा 0.3000है0 भूमि आवंटित की गयी। खसरा सं0–370/2 वादीगण के चक सं0–354 मि0 के पास है, जो कि नक्शा राजस्व में व नक्शा नजरी में प्रतिवादीगण ने अलग–अलग दर्शाया है। यदि वादीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रतिवादी सं0–3 की अपूर्तनीय क्षति होगी। निषेधाज्ञा आदेश की आढ़ में वादीगण प्रतिवादी सं0–3 की कृषि पट्टे वाली भूमि को जबरन हड़प लेंगे। जबकि वादीगण का कोई संबंध व सरोकार दूर–दूर तक प्रतिवादी सं0–3 की कृषि पट्टे वाली भूमि से नहीं है। क्योंकि वादीगण दबंग व ताकतवर किस्म के भू–माफिया व्यक्ति हैं। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 6ग निरस्त किये जाने का निवेदन

किया गया है।

वादीगण द्वारा अपना प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध करने हेतु फैहरिस्त कागज सं0–11ग से दो अभिलेख नकल खसरा व खतौनी, सूची 24ग/1 से दो अभिलेख खसरा खतौनी उपलब्ध कराये गये हैं।

प्रतिवादीगण असली द्वारा अपने समर्थन में खतौनी कागज सं0–18ग/2 व राजस्व भू–मानचित्र की छायाप्रति कागज सं0–18ग/4, सूची 23ग/1 से 6 अभिलेख नकल खतौनी, सरकारी रेट लिस्ट, नकल राजस्व नक्शा, नकल खसरा व फोटोग्राफ विवादित संपत्ति दाखिल की गयी है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाऐं श्रीमती फूलमती देवी **बनाम्** मानिक लाल एवं अन्य 2005(2) ए.डब्लू.सी. 1823(बी.) एवं श्रीमती लीलावती **बनाम्** सूसा राम 1985 इला. एल.जे. 984 दाखिल की गयी हैं।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र के निस्तारण के दौरान तीन बिंदुओं को देखना होता है।

1– प्रथम दृष्टया मामला।

2– सुविधा का संतुलन।

3– अपूर्णनीय क्षति।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में यह तर्क दिया गया कि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण प्रश्नगत संपत्ति पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर काबिज चले आ रहे हैं। यह तथ्य साबित करने हेतु उनके द्वारा नकल खसरा खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध करायी है, जिसमें प्रश्नगत संपत्ति पर उनका नाम दर्ज चला आ रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल खसरा खतौनी से उनके द्वारा प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध किया गया है। सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है। यदि दौरान मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञ निर्गत नहीं की गयी तो उनको अपूर्तनीय क्षति होने की संभावना है।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिये गये हैं कि वादीगण इस मुकदमें की आड़ में प्रतिवादीगण को आवंटित पट्टे की भूमि को हड़पना चाहते हैं, ध्क्योंकि खसरा सं0–354 से सटा हुआ खसरा सं0–370 है। उक्त खसरा सं0–370 में से भूमि का आवंटन प्रतिवादीगण को हुआ है। प्रस्तुत वाद में मुख्य विवाद सीमांकन का है, जिसको तय करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। चूंकि मामला सीमांकन से संबंधित है, इस कारण उनका कोई भी कारण परीलक्षित नहीं है।

अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या वादीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये अपना प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध किया गया है।

वादीगण द्वारा यह मुकदमा प्रतिवादीगण के विरूद्ध खसरा सं0–354मि0 रकवा 3.55 है0 के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है। वादीगण द्वारा अपने प्रथम दृष्टया मामले को सिद्ध करने हेतु पत्रावली पर फैहरिस्त 11ग व 24ग से नकल खसरा खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी है। उक्त खसरा खतौनी के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत संपत्ति पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का नाम दर्ज चला आ रहा है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवादपत्र में यह कथन किया गया है कि इस मुकदमें की आड़ में वादीगण प्रतिवादीगण की संपत्ति पर कब्जा करना चाह रहे हैं। वादीगण की भूमि चक सं0–354 मि0 प्रतिवादी सं0–3 की भूमि के पास है, जो कि अलग नंबर है। वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण अपने चक की आड़ में प्रतिवादी सं0–3 के पट्टे वाली जमींन को जबरन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी तर्क दिया गया कि मुकदमें में मुख्य रूप से सीमांकन का विवाद है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में जो शपथपत्र 18ग के साथ संलग्नक के रूप में उद्धरण खतौनी, नक्शा राजस्व (कागज सं0–18ग/2, 18ग/4) पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी है। कागज सं0–18ग/2 नकल खतौनी के अवलोकन से विदित है कि खसर सं0–370/2 के सामने प्रतिवादी सं0–3 सालिग राम का नाम

दर्ज चला आ रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व नक्शा 18ग/4 के अवलोकन से विदित है कि खसरा सं0–354मि0 का एक भाग खसरा सं0–370 से सटा हुआ दिख रहा है, परंतु वादी पक्ष द्वारा फैहरिस्त 24ग/1 से दो अभिलेख कागज सं0–24ग/2 नकल खतौनी कागज सं0–24ग/3 नकल खसरा पत्रावली पर उपलब्ध कराये हैं। उक्त खसरा खतौनी 24ग/2 लगायत 24ग/3 के अवलोकन से विदित है कि वादीगण रोहतान, भोजा, श्रीमती ओमवती, मीरा देवी व तरतीवी प्रतिवादीगण वीरपाल सिंह, भरतपाल सिंह, देवेन्द्र सिंह, श्रीमती भगवान देई, श्रीमती मोन देई, श्रीमती कलावती, भगत सिंह कुशवाह, राजकुमार पाण्डेय व हरीबाबू शर्मा के साथ दो व्यक्ति पोहप सिंह व विशम्भर का भी नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज चला आ रहा हैं। आराजी भूमि के स्वत्व एवं कब्जे के संबंध में खसरा–खतौनी को प्रथम दृष्टया एक उपयुक्त साक्ष्य माना जा सकता है।

चूंकि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण उक्त खसरा सं0 354मि के कास्तकार दर्ज चले आ रहे हैं और उनके द्वारा इस वाद में सुविधा भी खसरा सं0–354मि0 के संबंध में ही चाही गयी है। ऐसी स्थिति में जब उनका नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज चला आ रहा है, तो उन्हें उक्त भूमि का उपभोग करने का भी अधिकार प्राप्त है।

कागज सं0–18ग/4 राजस्व नक्शा के अवलोकन से विदित है कि खसरा सं0–354मि0 का एक भाग खसरा सं0–370 से सटा हुआ दिख रहा है, इस कारण सीमांकन के विवाद की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है, परंतु प्रश्नगत संपत्ति पर वर्तमान में सीमांकन की कोई कार्यवाही चल रही है अथवा नहीं इस संबंध में कोई कागजात प्रतिवादीगण द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। साक्ष्य के अभाव में न्यायालय सीमांकन विवाद के विद्यमान होने के संबंध में अभिनिश्चय इस स्तर पर नहीं दे सकती है। यह विवाद उभयपक्ष के साक्ष्य के उपरांत ही तय हो पायेगा कि मुकदमें में सीमांकन का विवाद विद्यमान है अथवा नहीं।

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि वादीगण इस मुकदमें की आड़ में प्रतिवादीगण की भूमि में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस बिंदु पर भी न्यायालय उभयपक्ष के साक्ष्य के उपरांत ही अभिनिश्चय दे पायेगी कि वादीगण प्रतिवादीगण की भूमि में हस्तक्षेप कर रहे हैं अथवा नहीं।

वादीगण द्वारा प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में खसरा–खतौनी दाखिल की गयी हे, जिसमें उनका नाम दर्ज चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अपना प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध किया है। चूंकि खसरा सं0–370 व खसरा सं0–354 एक दूसरे से सटे हुये हैं, इसलिये मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित करना ज्यादा न्यायसंगत प्रतीत होता है। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है। यदि दौरान मुकदमा विवादित संपत्ति पर यथा स्थिति कायम नहीं रखी गयी, तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

जहां तक प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपने समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी हैं, वह अपनी जगह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है, परंतु उक्त विधि व्यवस्थाओं से इस मामले में उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थनापत्र 6ग तद्नुसार निस्तारित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 6ग इस रूप में निस्तारित किया जाता है कि उभयपक्ष दौरान मुकदमा यथास्थिति कायम रखेंगे।

पत्रावली वास्ते तनकी दिनांक 18.03.2021 को पेश हो।

(अक्षयदीप यादव)
सिविल जज, जू0डि0, छाता, मथुरा।
आई.डी.–यू.पी. 2348